निगरानी / टी.ए./ 1177 / 2004 / जिला चूरू
मेघाराम वगैरह बनाम गोपीराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
01–8–2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री जे.के.पंत, अभिभाषक प्रार्थी । **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 के अंतर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीडूंगरगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–12–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद बाबत् खातेदारी घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती, विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा व बेदखली के विचाराधीन रहते प्रतिवादी सं.4, 11, 12 व 13 क्रमश डूंगरराम, माणक, नत्थाराम एवं कोजाराम का देहांत हो जाने पर वादी द्वारा कायम मुकाम की कार्यवाहीं नहीं किये जाने पर प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद को अबैट घोषित करने का निवेदन किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। उनका कथन है कि उक्त प्रतिवादीगण का देहांत हुये 3–4 वर्ष से अधिक का समय हो गया किंतु वादी द्वारा उनके कायम मुकाम की कार्यवाहीं नहीं की गई। ऐसी स्थिति में वादी का वाद आदेश 22 नियम 4 (3) सीपीसी के प्रावधानों के तहत स्वतः अबैट हो चुका था। प्रतिवादीगण की मृत्यु की जानकारी वादी को थी इसके बावजूद उनके कायम मुकाम की कार्यवाहीं लम्बे समय तक नहीं की गई। ऐसी स्थिति में वादी का वाद अबैट हो चुका था किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तर्को को नजरअदांज करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् वाद अबैट किये जाने को निरस्त करने में त्रुटि कारित की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20–12–03 खारिज करते हुये उनके समक्ष विचाराधीन वाद स्वतः ही अबैट हो जाने से खारिज किया जावे। 3. अधिपक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण वर्ष 2004 से लम्बित है तथा एडमीट नहीं हुआ है। 4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् वाद अबैट करने का, आलोच्य आदेश से खारिज किये जाने के विरूद्ध यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	कि वादी अन्य जिले में निवास करता है तथा लगातार प्रतिवादीगण एवं उसके वकील से सम्पर्क करना एक गरीब काश्तकार के लिये नामुमकिन है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुये विलम्ब में शिथिलता देते हुये मृत प्रतिवादीगण के विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लेने हेतु वादी को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये है। इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि जब तक क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधि सम्बन्धी गंभीर त्रुटि दृष्टव्य नहीं हो तब तक निगरानी के माध्यम से ऐसे सकारात्मक आदेश में हस्तक्षेप नही किया जाना चाहिये। प्रकरण में प्रतिवादी सं.4, 11, 12 व 13 क्रमश डूंगरराम, माणक, नत्थाराम एवं कोजाराम का देहांत हो चुका है तथा अन्य प्रतिवादीगण वाद में मौजूद है। ऐसी स्थिति में कुछ प्रतिवादीगण के फौत होने पर सम्पूर्ण वाद को अबैट किया जाना एक कठोरतम उपाय है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मृत पक्षकारों के विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लेने के लिये समयावधि में कार्यवाहीं नहीं किये जाने पर समय सीमा में छूट दी जा सकती है। निगरानी का क्षेत्र अत्यंत सीमित है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 20–12–03 में विधि अथवा तथ्य सम्बंधी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि दृष्टव्य नहीं है, जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जावे। अतः हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। 5. परिणामतः हस्तगत निगरानी एतदद्वारा ग्राहयता के स्तर पर ही खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	